न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 10/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र भगवान सिंह जाटव उम्र 29 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता, एवं विक्रेता) मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा0लि0 गणेशपुरम, सौख रोड, भरतपुर निवासी जाटव मौहल्ला, ग्राम सिघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
2. गिर्राज बंसल पुत्र राधेश्याम बंसल (डायरेक्टर) मै0 ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा0लि0 गणेशपुरम, सौख रोड, भरतपुर रजि ऑफिस–जी–1, शिवा आर्केड, इन्कम टैक्स ऑफिस के सामने, सिटी सेन्टर ग्यालियर–474011 (म0प्र0) निवासी डी–5ए, गुलमोहर सिटी, पुतलीघर रोड, नई कलैक्ट्रेट के पीछे, ग्यालियर–474001
3. केतन बंसल पुत्र गिर्राज बंसल (डायरेक्टर) मै0 ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा0लि0 गणेशपुरम, सौख रोड, भरतपुर रजि ऑफिस–जी–1, शिवा आर्केड, इन्कम टैक्स ऑफिस के सामने, सिटी सेन्टर ग्यालियर–474011 (म0प्र0) निवासी डी–5ए, गुलमोहर सिटी, पुतलीघर रोड, नई कलैक्ट्रेट के पीछे, ग्यालियर–474001

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii), 26(2)(V)/52 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 25.10.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii), 26(2)(V)/52 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 25.10.2021 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 05.09.2020 को दोपहर बाद 11.00 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा0लि0 गणेशपुरम, सौख रोड, भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आमजन के लिये विक्रय हेतु 500 ग्राम वजनी पैकिंग की दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) के 400 मूल सील्ड पैक प्लास्टिक के 10 कट्टो में प्रति कट्टा 40 पैक के हिसाब से रखे हुये पाये गये। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/441/एक्ट/2020/512 दिनांक 18.09.2020 द्वारा उक्त दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (**Misbranded Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (**Misbranded Food**) प्रकृति का दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii), 26(2)(V)/52 एवं 58 का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स ओम श्री शुभ लाभ एग्रीटेक प्रा0लि0 गणेशपुरम, सौख रोड, भरतपुर से पोहा (स्मार्ट वाईफ) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (**Misbranded Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर मिथ्याछाप स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 05.09.2020 को प्रातः 11.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु 500 ग्राम वजनी पैकिंग की दाल मूंग छिला (स्मार्ट वाईफ) के 400 मूल सील्ड पैक प्लास्टिक के 10 कट्टो में प्रति कट्टा 40 पैक के हिसाब से रखे हुये पाये गये। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/441/एक्ट/2020/512 दिनांक 18.09.2020 के द्वारा उक्त दाल मूंग छिलका (स्मार्ट वाईफ) का नमूना मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ (Misbranded Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार **U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FS&S Act 2006, It is contravention to the Regulation No. 2.2.2(10) of FS&S (Packaging & Labelling) Regulation 2011** की कमियां पाई गई है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 58 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/—रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)